



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2016/श्रावण 7, 1938

No. 307]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2016/SRAVANA 7, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2016

फा. सं. 10/क्यूए/एफए परीक्षा/ एफएसएसएआई/2016.—खाद्य संरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.4 के उप-नियम 1 (ii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) तथा इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन खाद्य विश्लेषक के पद के लिए उपयुक्त तथा अर्हता प्राप्त आवेदकों पर विचार करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों को लेकर एक बोर्ड का गठन एतद्वारा करता है।

- I. श्री पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफएसएसएआई – अध्यक्ष
- II. श्रीमती माधवी दास, मुख्य प्रबंधन सेवा अधिकारी, एफएसएसएआई – सदस्य
- III. श्री सुनील बक्शी, सलाहकार (विनियम), एफएसएसएआई – सदस्य
- IV. डा. आशा मार्टिन, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान – सदस्य
- V. डा. विजेन्द्र मिश्र, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान – सदस्य
- VI. श्री आर. के. गुप्ता (गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग), एफएसएसएआई – सदस्य सचिव

2. यह बोर्ड इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ अथवा अधिकारी को, जैसा उचित समझें, सहयोजित कर सकता है।

3. यह बोर्ड अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा तथा कार्य संव्यवहार इसके द्वारा होंगे।

4. किसी अड़चन/विवाद की स्थिति में, बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

5. केवल रिक्त पदों के विद्यमान होने या बोर्ड के गठन में किसी भी दोष के आधार पर बोर्ड की किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञाप-III/4/असा./192 (187)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**[Food Safety and Standards Authority of India]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2016

F. No 10/QA/FA Exam/FSSAI/2016.—In exercise of powers conferred under sub-rule 1(ii) of rule 2.1.4 of the Food Safety and Standards Rule, 2011, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) hereby appoints a Board comprising of following members for the purpose of considering the candidates suitable and qualified to hold the post of Food Analyst under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder, namely:-

- I. Shri Pawan Kumar Agarwal, Chief Executive Officer, FSSAI – Chairman
 - II. Smt. Madhavi Das, Chief Management Service Officer, FSSAI – Member
 - III. Shri Sunil Bakshi, Adviser (Regulations), FSSAI – Member
 - IV. Dr. Asha Martin, Central Food Technological Research Institute - Member
 - V. Dr. Vijendra Mishra, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management – Member
 - VI. Shri R.K. Gupta, (Quality Assurance Division), FSSAI – Member Secretary
2. This Board may co-opt experts or officers for such purpose or provide as it deems fit.
 3. This board shall regulate its own procedure and the conduct of business to be transacted by it.
 4. In case of any difficulty/dispute, the decision of the chairman of the board shall be final.
 5. No act or proceeding of the board shall be called in question on the ground merely of existence of any vacancy in as or any defect in the constitution of the Board.

PAWAN KUMAR AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./192 (187)]